(481)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

प. 3(55)/नविवि/3/2002

जयपुर, दिनांक 22 AUG 2013

आदेश

विषय :— माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणाओं कि कियान्विति के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणाओं की अनुपालना के कम में विभिन्न विभागों द्वारा अपनी कार्य योजनाओं की पूर्ति के लिए संबंधित प्राधिकरण/नगर विकास न्यास से निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की जाती है। चूंकि प्राधिकरण/नगर विकास न्यास को निःशुल्क भूमि आवंटन का अधिकार नहीं है, उनके द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को नियमानुसार प्रकिया के तहत राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाया जाता है और राज्य सरकार से स्वीकृति के पश्चात भूमि आवंटन हो पाता है। इस सारी प्रकिया के पूर्ण होने में अनावश्यक समय लगता है जिससे बजट घोषणा की कियान्विति प्रभावित होती है।

राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 18 एवं राज्य सरकार की नीति दिनांक 19.04.11 के बिन्दु संख्या 2 तथा राज्य सरकार के ही आदेश दिनांक 04.04.13 के बिन्दु संख्या 2 में सार्वजनिक/पारमार्थिक संस्थाओं को भूमि आवंटन के प्रावधान है, जो निम्नानुसार है :—

1. नियम 18

सार्वजनिक एवं पारमार्थिक संस्थाओं को निम्न प्रयोजनों के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन की अधिकतम सीमा 1000 वर्गगज तक रखी गई है :—

1. नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना हेतु
2. वृद्धाश्रम स्थापित करने,
3. पैंशनर्स हेतु विश्राम गृह स्थापित करने,
4. रात्रि में विश्राम गृह या रैन बसेरे स्थापित करने,
5. मूक बधिरों तथा निःशुल्क व्यक्तियों के लिए उनको स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु
6. सार्वजनिक प्याऊ, पेशाबघर, शौचालय स्थापित करने व उनका रखरखाव करने,
7. प्रेस क्लब, पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित करने।

2. नीति दिनांक 19.04.2011

अ. शैक्षणिक संस्थाऐं :—

	संभागीय मुख्यालय पर	संभागीय मुख्यालय के अलावा अन्य स्थानों पर
प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय	अधिकतम 2000 वर्गमीटर	3000 वर्गमीटर
माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय	अधिकतम 4000 वर्गमीटर	अधिकतम 6000 वर्गमीटर
निःशक्तजन/मूक बधिरों के लिए विद्यालय	अधिकतम 2000 वर्गमीटर	अधिकतम 5000 वर्गमीटर
महाविद्यालय	न्यूनतम 2000 वर्गमीटर एवं अधिकतम 10,000 वर्गमीटर	न्यूनतम 4000 वर्गमीटर एवं अधिकतम 15000 वर्गमीटर
विश्वविद्यालय	अधिकतम 30 एकड	

(428)

ब. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाऐं–जो प्रकरण **Policy to promote Investment in Health Care Facilities 2006** के अधीन नहीं आते हों

	संभागीय मुख्यालय पर	संभागीय मुख्यालय के अलावा अन्य स्थानों पर
छोटे अस्पताल–25 शैय्याओं तक / नर्सिंग होम	2000 वर्गमीटर	3000 वर्गमीटर
बड़े अस्पताल 100 शैय्याओं तक	6000 वर्गमीटर	8000 वर्गमीटर
स्पेशियलिटी हास्पीटल	4000 वर्गमीटर	6000 वर्गमीटर
पशु चिकित्सालय	4000 वर्गमीटर	6000 वर्गमीटर

स. **सार्वजनिक सुविधाऐं :–**

	संभागीय मुख्यालय पर	संभगीय मुख्यालय के अलावा अन्य स्थानों पर
सामुदायिक केन्द्र	2000 वर्गमीटर	4000 वर्गमीटर

3. आदेश दिनांक 04.04.2013

विभिन्न समाजों के छात्रावास के निर्माण हेतु नगर निगम / नगर परिषद / पालिका की सीमा से बाहर (जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण / न्यासों से संबंधित शहरों में निकाय क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्र तथा मास्टर प्लान में पैराफेरी क्षेत्र) की भूमि के संबंध में दिनांक 19.04.2011 को जारी की गयी भूमि आवंटन नीति के पैरा–3 के अनुसार 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जावेगी। इसी प्रकार स्थानीय निकायों के मास्टर प्लान में अंकित परिधीय क्षेत्र में स्थानान्तरित की गयी सिवायचक भूमियों में से 2000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन समाजों के छात्रावासों हेतु दिनांक 19.04.2011 को जारी की गयी नीति के अनुरूप किया जा सकेगा।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणाओं के त्वरित कियान्वित होने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा विचार कर, यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय विभागों / कार्पोरेशन अथवा राज्य सरकार से सम्बद्व कार्यालयों द्वारा बजट घोषणा के कम में उपरोक्त उल्लेखित प्रयोजनों हेतु निकायों से भूमि का आवंटन चाहे जाने की स्थिति में, इन प्रावधानों में निर्धारित क्षेत्रफल सीमा तक, भूमि आवंटन किये जाने के लिए, संबंधित प्राधिकरण / नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष एवं आयुक्त / सचिव, जैसी भी स्थिति हो, को संयुक्त रूप से अधिकृत किया जाता है। संबंधित प्राधिकरण / नगर सुधार न्यास को भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव अथवा पत्र प्राप्त होते ही अधिकारों के तहत भूमि आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

इसके अतिरिक्त राजकीय विभागों द्वारा स्थापित एवं संचालित किये जाने वाले छात्रावासों के लिए 2000 वर्गमीटर तक भूमि के आवंटन की अधिकारिता भी उपरोक्तानुसार संबंधित प्राधिकरण / न्यास अध्यक्ष एवं आयुक्त / सचिव को संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है।

इन प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए निकाय से भूमि का आवंटन चाहे जाने की स्थिति में नगरीय विकास विभाग के समक्ष प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जावेगा, जिनके द्वारा संबंधित विभागों / कार्पोरेशन / राज्य सरकार के सम्बद्व कार्यालयों द्वारा चाही गई भूमि आवंटन के औचित्य को क्षेत्रफल के दृष्टिगत से, (अर्थात की गई घोषणा के जिस उद्देश्य / योजना के लिए भूमि चाही जा रही है, वह चाहे गये क्षेत्रफल से पूरित हो सकती है अथवा नही) परीक्षण किया जा कर आवंटन के संदर्भ में निर्णय लिया जावेगा।

(429)

इन शिथिलताओं के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यह शिथिलताएं/प्रकिया केवल माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा से संबंधित प्रकरणों के लिए ही देय होगी। भूमि आवंटन के अन्य प्रकरण पूर्व की भांति ही नियमानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति अनुसार ही निष्पादित किये जावेंगे।

यह स्वीकृति / आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प. 3(55)/नविवि/3/2002

जयपुर, दिनाक 22 AUG 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक/उच्च/तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
9. जिला कलक्टर ....समस्त
10. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
12. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
13. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. सचिव, नगर सुधार न्यास..............................(समस्त)
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

(430)